

Deputy Conservator of Forest, Pratapgarh (Rajasthan)

Full Title of the Project: Widening & Strentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 Km 59/0 Km & 76/0 Km (SH-81) वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरण के सम्बन्ध में।

File No. : FP/RJ/ROAD/143853/2021

Date of Proposal: 25/06/2021

—:क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई भूमियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण:—

- उक्त प्रत्यावर्तन प्रकरण में जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक 2270-75 दिनांक 13.06.2022 के द्वारा क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु गांव आमलीखोरा तह. प्रतापगढ़ में कुल 3.468 है० गैर वन भूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष में किया गया है। आवटित शुदा गैर वन भूमि पर प्राकृतिक वनस्पति एवं रूट स्टॉक के कारण केवल 200 पौधों का रोपण प्रति है० किया जाना संभव हो सकेगा। जबकि निर्देशानुसार प्रति है० 1000 पौधों का रोपण किया जाना होता है। वन संरक्षक अधिनियम 1980 के दिशा निर्देश (हेण्ड बुक) के अध्याय 2 के अनुसरण में शेष 800 पौधों का रोपण परिभ्रांषित वन भूमिपर किया जायेगा, इस हेतु युजर एजेन्सी भी सहमत है।

(सुनील कुमार, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़